प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छहित्तर' [15/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 6170]

परिशिष्ट-ल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2012—पौष 23, शक 1933

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

क्र. एफ 2-27-2011-छः-1.—**संक्षिप्त नियम** (1) यह नियम मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के श्रीलंका के सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की यात्रा नियम, 2011 है.

2. **उद्देश्य.**—इस योजना का उद्देश्य श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की तीर्थयात्राओं पर जाने वाले प्रदेश के यात्रियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है.

3. **परिभाषा.**—''तीर्थ यात्रियों'' से अभिप्रेत है वे व्यक्ति जिन्होंने श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की यात्रा पूर्ण कर ली हो.

4. **तीर्थयात्रा पर जाने के लिये पात्रता.**—(1) श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो.

(2) प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवनकाल में केवल एक ही बार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी.

5. **तीर्थयात्रा हेतु अनुदान राशि**—(1) मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की यात्रा पूर्ण कर ली हो, यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत् करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (अधिकतम् रुपये 30,000/-) राज्य सरकार द्वारा की जायेगी.

(2) अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा.

6. **अनुदान का भुगतान.**—अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों द्वारा तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत् करना होंगे.

7. इस नियम के किसी भी उप खण्ड की व्याख्या के लिये प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निर्देश अंतिम होंगे.

8. उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.

प्रपत्र

श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की तीर्थयात्रा हेतु आर्थित सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र:—

(1) यात्री का नाम ....

(2) पिता/पति का नाम ....

(3) व्यवसाय ....

(4) निवास स्थान का पूर्ण पता (दूरभाष क्रमांक यदि हो तो) ....
....

(5) यात्रा का दिनांक एवं पासपोर्ट की प्रतिलिपि ....

(6) श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका/अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र ....

(7) यात्रा पर हुए व्यय का विवरण ....

(8) श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका/अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की क्या प्रथम यात्रा है (हां/नहीं) ....

(9) पहचान-पत्र ....

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:
दिनांक:

नोट.—आवेदन पत्र, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल को यात्रा के बाद दो माह की समयावधि में प्रेषित करना होगा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.